अध्याय–5

लोकतान्त्रिक अधिकार

याद रखने योग्य बातें :–

- अधिकार लोगों के तार्तिक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है।
- भारत में हर नागरिक को निम्नलिखित छः मौलिक अधिकार हासिल है :
  - समानता का अधिकार
  - स्वतंत्रता का अधिकार
  - शोषण के खिलाफ अधिकार
  - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
  - शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार
  - संवैधानिक उपचार का अधिकार
- डॉ. भीम राव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा।
- भारत सरकार ने 1993 में मानवाधिकार आयोग गठित किया। 14 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग हैं।
- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है।

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारः

समता का अधिकार

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 : उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 : वाक्–स्वतन्त्र्य आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 21 कः शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

शोषण विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यपार और बलात्श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्ययक–वर्गों का अधिकार।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 32 : इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

1 अंक वाले प्रश्न :–

1. अधिकार का क्या अर्थ है?
2. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है?
3. वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है?
4. मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
5. निजता (गोपनीयता) का अधिकार क्या है?

6. समानता के अधिकार से आप क्या समझते है?

7. धर्मनिरपेक्ष शासन का क्या अर्थ है?

8. शिक्षा का अधिकार से क्या अभिप्राय है?

9. सूचना का अधिकार क्या है?

लघु / दीर्घ प्रश्न (3 / 5 अंक)

1. भारत में हर नागरिक को कौन–से मौलिक अधिकार हासिल हैं?
2. समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए।
3. स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन–कौन सी स्वतंत्रताएं आती है?
4. शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन कीजिए।
5. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।
6. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को स्पष्ट कीजिये।
7. संवैधानिक उपचार के अधिकार का क्या अर्थ है।
8. दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कौन–से नए अधिकार मिले हैं?
9. निम्नलिखित उदाहरणों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हैः
   - क 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना।
   - ख रमेश के गाँव में दबंगों द्वारा लोगों से मुफ्त काम करवाना।
   - ग राहुल के गाँव में लोगों को वोट देने से रोकना।
   - घ बिहार से मुम्बई गये वरूण को वहां घर बनाने से रोकना।
   - ड़ तमिलनाडु के एक गाँव में एक महिला को गाँव के तालाब से पानी भरने से रोकना।
10. भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित किया गया है?

अथवा

न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की किस तरह से रक्षा करता है?

उत्तर माला

1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर :–

1. अधिकार लोगों के तार्तिक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है।

2. न्यायालय
3. राजनीतिक अधिकार
4. 10 दिसम्बर
5. इसके अंतर्गत नागरिकों व उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती।
6. किसी से भी सिर्फ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद भाव नहीं करना।
7. धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती।
8. 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार का उत्तरदायित्व है।
9. सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार।

लघु/दीर्घ प्रश्नों के उत्तर :–

1. भारत में हर नागरिक को हासिल मौलिक अधिकार :–
   - समानता का अधिकार।
   - स्वतंत्रता का अधिकार।
   - धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार।
   - शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार।
   - शोषण के खिलाफ अधिकार।
   - संवैधानिक उपचारों का अधिकार
2. समानता का अधिकार :
   - सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती।
   - दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता।
   - सरकार में किसी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता।
   - किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है।

- कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

3. स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएंः
   - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   - शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता
   - देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता
   - देश के किसी भी भाग में रहने–बसने की स्वतंत्रता
   - कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशा करने की स्वतंत्रता।
4. शोषण के खिलाफ अधिकार :–
   - संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करता है।
   - संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने को मना करता है।
   - संविधान बाल मज़दूरी को मना करता है।
5. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :
   - हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार।
   - हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक कामकाज के प्रबंधन की आजादी है।
   - अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसीको झाँसा या लालच दे कर उसका धर्म परिवर्तन कराना नहीं है।
6. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार :
   - नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है।
   - किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
   - सभी अल्पसंख्यको को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार :–
   - संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक

अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की माँग कर सकते है।

8. दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को मिले नए अधिकार :

- निजता का अधिकार।
- पर्यावरण का अधिकार।
- पर्याप्त आवास पाने का अधिकार।
- स्वास्थ्य सेवाओ, पर्याप्त भोजन और उन तक पहुँच का अधिकार।

9. (क) शोषण के विरूद्ध अधिकार

(ख) शोषण के विरूद्ध अधिकार

(ग) स्वतंत्रता का अधिकार

(घ) स्वतंत्रता का अधिकार

(ड) समता का अधिकार

10. (i) संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

(ii) विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कोई कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा।

(iii) अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं।

(iv) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण भारतीय अदालतें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम है।